न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /डिक्री/टीए/5505 /2003/जयपुर

1– दुला पुत्र कालू जाति जाट
2– जगदीश पुत्र शिवनारायण
3– रामू पुत्र शिवनारायण
निवासीगण दोसरा खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– रामजीवन पुत्र गणेश
2– कैलाश पुत्र रामजीवण
3– प्रकाश पुत्र रामजीवण
जाति बैरवा निवासीगण दोसरा खुर्द तहसील फागी जिला जयपुर।
4– राजस्थान सरकार

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0श्रीनिवास, सदस्य
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह , अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बी0एल0 वर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील संख्या 216/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16–10–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट संख्या–1 द्वारा अपीलांट संख्या–2 व 3 को तरतीबी प्रतिवादी बनाते हुये एक वाद अंतर्गत धारा 88 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी फागी के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित

विवादित आराजी के सबंध में प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी फागी ने दावे जवाबदोव के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी अपीलांट का वाद अपने निर्णय दिनांक 30–9–02 द्वारा स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिसकी प्रथम अपील प्रत्यर्थी संख्या–1 रामजीवण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16–10–03 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–02 निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने उपखंड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री को उल्ट कर वादी अपीलांट का वाद खारिज करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को विवादित भूमि खसरा नंबर 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार घोषित कर अपने अधिकारों को दुरूपयोग करते हुये निर्णय एवं डिक्री किया है। वादी अपीलांट ने अपना वाद रामजीवण पुत्र गणेश के अलावा भागीरथ पुत्र गणेश, रतना, बजरंगा पुत्र भागीरथ व मोती पुत्र रामलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। रामजीवण, कैलाश व प्रकाश रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 ने उपखंड अधिकारी फागी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–9–02 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी थी किंतु अन्य प्रतिवादीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाया। अन्य प्रतिवादीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में अपील अपूर्ण थी। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के निर्णय में इनकंसीसटैन्शी है। वादी अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नंबर 62, 63 व 64 में जो हिस्सा दधीशंकर व बृजमोहन का था वह जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3–7–86 द्वारा खरीद कर

कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं खरीदशुदा भूमि के बाबत् ही अपीलांट ने अपना वाद प्रस्तुत किया था। विक्रयकर्ता जो विक्रय करने की तारीख को खातेदार थे वह किस प्रकार विवादित आराजी के खातेदार बने यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी रेस्पोडेंट आराजी खसरा नंबर 62 व 63 में कोई स्वत्व अधिकार नहीं रखते थे और न ही उन्होंने अपना वाद प्रस्तुत किया था तो ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी को खसरा नंबर 62 व 63 बाबत् रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील में वाद खारिज करने का अधिकार नहीं था। वादी अपीलांट ने अपने वाद को सिद्ध करने हेतु जमाबंदी एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जबकि रेस्पोडेंट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात तनकीवार निर्णय पारित किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपील स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि परीक्षण न्यायालय द्वारा सहीं रूप से समस्त तनकियों पर निर्णय पारित नहीं किया है। प्रतिवादी प्रत्यर्थी का प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद साबित नहीं होने के बावजूद परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के प्रतिकूल निष्कर्ष अंकित करते हुये गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है। अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा विचरित समस्त तनकीयात पर स्पष्ट विश्लेषण व विवेचन करते हुये रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा

पारित आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं दोनों आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया ।

7— न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30—9—02 से वाद संख्या— 482/98 दूला पुत्र कालू बनाम रामजीवण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं वद संख्या 6/98 रामजीवण बनाम जगदीश बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में वर्तमान अपीलांट दूला द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुये रेस्पो./प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया कि प्रश्नगत आराजीयात खसरा नंबर 62, 62 व 64 में अपीलांट/वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल नहीं करें तथा वाद संख्या 6/98 जो कि वर्तमान रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था को खारिज किया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा वाद संख्या—482/98 में तनकी संख्या—1 को निर्णित करते हुये यह निष्कर्ष व्यक्त किया कि प्रश्नगत आराजीयात वादी दूला एवं प्रतिवादी सं0 7 व 8 द्वारा श्री दधीशंकर, बृजमोहन से दिनांक 3—7—86 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की है जोकि राजस्व रिकोर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज थे। प्रतिवादी संख्या—1 से 7 के नाम प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं थी। रेस्पो./प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाबदावा उक्त वाद में प्रस्तुत किया है उसमें यह कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 64 अपने पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त एवं खातेदार काश्तकार के रूप में चले आ रहे है तथा उक्त कब्जा सेटलमेंट से भी पूर्व से चला आ रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रावधानों के लागू होने की तिथि से काबिज खातेदार काश्तकार है। परंतु

रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकोर्ड में उनके नाम दर्ज हो। उनका जवाबदावे में यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि दधिशंकर व बृजमोहन ने बिना कब्जेकाश्त व स्वामित्व के प्रश्नगत भूमि का बेचान अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के हक में दिनांक 3–7–86 को कर दिया। रिकोर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस दिन उक्त विक्रय नामा पंजीबद्ध हुआ उस समय विक्रेतागण के नाम उक्त आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी। न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा तनकी संख्या–3 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया है जोकि विक्रय पत्र दिनांक 3–7–06 को निरस्त करने बाबत् थी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया कि उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कराने बाबत् सिविल कोर्ट में कोई कार्यवाहीं रेस्पो./प्रतिवादीगण द्वारा की गई हो। जब उक्त सेलडीड द्वारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज विक्रेतागण द्वारा अपीलांट/वादीगण के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व व कब्जाकाश्त अंतरित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में रेस्पो./प्रतिवादीगण का यह कथन कोई अर्थ नहीं रखता है कि प्रश्नगत आराजीयात उनके स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की है। रेस्पो./प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में यह कथन किया है कि वल्लभ पुत्र रामजीवण जोकि जाट के नाम का कोई व्यक्ति नहीं था एवं उपरोक्त आराजी वल्लभ के नाम कभी दर्ज नहीं रही तथा जो नामांतरकरण 10–6–67 को वल्लभ के नाम स्वीकृत किया गया, वह गलत था। परंतु रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने इस बाबत् कोई भी साक्ष्य सबूत परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। उपखंड अधिकारी द्वारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज प्रविष्टियों एवं कब्जेकाश्त की स्थिति के अनुरूप ही वाद को समेकित करते हुये निस्तारण किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

8— राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने बिना किसी समुचित आधार के अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16—10—03 द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार करते हुये उपखंड अधिकारी फागी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—9—02 को अपास्त करते हुये प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या—1 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 6/98 अपीलांट के विरूद्ध डिक्री किया है एवं रेस्पोडेंट संख्या—1 लगायत 3 को आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं वाद वादी वादी/अपीलांट खारिज किया है। परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अपने वाद को सिद्ध करने हेतु प्रदर्श—1 व प्रदर्श—2 सबंधित जमाबंदी की नकले एवं अन्य साक्ष्य परीक्षण न्यायालय में पेश किये है। परंतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का वाद संख्या 6/98 डिक्री किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी के निर्णय व डिक्री को अपास्त करते समय तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है।

9— न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार ने वाद संख्या—6/98 को डिक्री करने का मूल आधार रेस्पो./वादी के इस कथन को बनाया है कि वे सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 64 के कब्जेकाश्त में रहे है तथा साथ ही नायब तहसीलदार सज्जन सिंह की जांच रिपोर्ट को आधार बनाया है कि राजस्व रिकोर्ड में कांट छाटकर रेस्पो./वादी को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित किया है व त्रुटिपूर्णय नामांतरकरण के आधार पर अपीलांट का नाम दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया गया है, परंतु राजस्व अपील प्राधिकारी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य/कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके आधार पर रेस्पो./वादी के पक्ष में वाद को डिक्री किया जा सके तथा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत

जमाबंदी की नकले, विक्रय पत्र व अन्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये रस्पोडेंट प्रतिवादी का वाद संख्या–6/98 डिक्री किया है तथा वर्तमान अपीलांट का वाद खारिज किया है, जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता एंव अपीलीय न्यायालय का निर्णय का असमर्थनीय है।

10– उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि वादी अपीलार्थी विचारण न्यायालय में अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहे हैं और वादी अपीलांट के वाद को स्वीकार कर डिक्री करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी थी तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना किये बिना विचारण न्यायालय के विधि संगत निर्णय को उलट कर विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 16–10–03 अपास्त किये जाने व विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–02 बहाल किया जाकर हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

11– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 216/02 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 16–10–03 को एतदद्वारा अपास्त करते हुये विचारण न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, फागी का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–02 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल) **(वी0श्रीनिवास)**

सदस्य **सदस्य**